IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएफसीआई - कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश

लेखा परीक्षा समिति

योग्य और स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति

कंपनी के पास एक बोर्ड स्तरीय परिसंपत्ति देयता समिति होगी जो आरबीआई/बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ संस्थान के बजट और निर्धारित जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप संस्थान की व्यावसायिक रणनीति तय करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(1) लेखा परीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य होंगे। लेखा परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

(2) लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर होंगे और कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होगी।

स्पष्टीकरण (i): "वित्तीय रूप से साक्षर" शद्व का अर्थ बुनियादी वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता है, जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, और नकदी प्रवाह का विवरण।

स्पष्टीकरण (ii): किसी सदस्य को लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता रखने वाला तभी माना जाएगा जब उसके पास वित्त या लेखांकन में अनुभव हो, या लेखांकन में अपेक्षित व्यावसायिक प्रमाणन हो, या कोई अन्य तुलनीय अनुभव या पृष्ठभूमि हो, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति वित्तीय रूप से परिष्कृत हो, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय निरीक्षण जिम्मेदारियों वाले अन्य वरिष्ठ अधिकारी होना या रहना शामिल है।

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियाँ

लेखा परीक्षा समिति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:

1. अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जाँच करना।

2. किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना।

3. बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

4. यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना, आंतरिक नियंत्रणों और प्रणालियों की समीक्षा करना और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करना। कॉर्पोरेट लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रथाओं की समीक्षा करना और लेखांकन नीति में बदलावों पर भी विचार करना। कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक और अंतिम खातों की समीक्षा करना।
2. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

3. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:

   अ. बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले।

ब. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण।

स. प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।

द. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

इ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

च. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएँ, यदि कोई हों।

छ. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण (सेबी परिपत्र के अनुसार शामिल किया जाएगा)

4. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
5. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभागाध्यक्ष के पद और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखा परीक्षा के कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना। यह किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा कर सकता है और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई कर सकता है।
6. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की किसी महत्वपूर्ण प्रकृति की विफलता का संदेह हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
7. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और साथ ही लेखा परीक्षा के बाद किसी भी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना।
8. समिति जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में भारी चूक के कारणों की भी जाँच कर सकती है।

9. समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

क) वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।

ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है) का विवरण।

ग) वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

घ) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और

ड़) मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

10. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;

11. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता, कार्य-निष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;

12. वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच;

13. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;

14. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जाँच;

15. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहाँ आवश्यक हो;

16. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

17. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी;

18. आंतरिक लेखापरीक्षक(कों) के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, आवधिकता और कार्यप्रणाली का निर्धारण।

19. सतर्कता तंत्र की देखरेख के साथ-साथ उपयुक्त या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच का प्रावधान करना।

20. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी (अर्थात पूर्णकालिक वित्त निदेशक या वित्त कार्य का नेतृत्व करने वाला या उस कार्य का निर्वहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति) की नियुक्ति की सिफारिश।

21. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।

22. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सामने आने वाले परिचालन जोखिमों का आकलन करने के लिए आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा कम से कम दो वर्षों में एक बार आयोजित की जाए।

स्पष्टीकरण: "संबंधित पक्ष लेनदेन" शद्व का वही अर्थ होगा जो लिस्टिंग समझौते के खंड 49 में दिया गया है।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य रूप से समीक्षा करेगी:

1. वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण;
2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है) का विवरण;
3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
4. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट; और
5. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

कंपनी में एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति है। इस समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे और कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। कंपनी के अध्यक्ष (चाहे कार्यकारी हों या गैर-कार्यकारी) को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका

1. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और बोर्ड को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना।

   "वरिष्ठ प्रबंधन→ से तात्पर्य कंपनी के उन कार्मिकों से है जो निदेशक मंडल को छोड़कर, इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं, जिसमें कार्यकारी निदेशकों से एक स्तर नीचे के सभी प्रबंधन सदस्य शामिल हैं, जिनमें कार्यात्मक प्रमुख भी शामिल हैं।
2. समिति प्रत्येक निदेशक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

3. समिति निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड तैयार करेगी।

4. समिति निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति भी तैयार करेगी और बोर्ड को उसकी अनुशंसा करेगी।

5. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड तैयार करना।

6. बोर्ड विविधता पर एक नीति तैयार करना।

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

जोखिम प्रबंधन समिति

अ. कंपनी जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी।

ब. बोर्ड कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करने, उसे लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

स. कंपनी अपने निदेशक मंडल के माध्यम से एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगी। बोर्ड जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करेगा और जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा तथा अन्य कार्य, जो वह उचित समझे, समिति को सौंप सकता है।

द. समिति में केवल निदेशक मंडल के सदस्य ही शामिल होंगे।

इ. जोखिम प्रबंधन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. संस्था के प्रमुख जोखिमों की पहचान और निगरानी करना।
2. एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि संस्था के सामने आने वाले जोखिमों, जिनमें ऋण, बाजार, परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल हैं, के प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।
4. जोखिम के दृष्टिकोण से संस्था की व्यावसायिक रणनीतियों और योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना और बोर्ड को उचित सलाह देना।
5. जोखिम मापन पद्धतियों का निर्धारण करना, जोखिम प्रबंधन के लिए सीमाएँ निर्धारित करना और निर्धारित सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि संस्था में असाधारण रिपोर्टिंग ढाँचा मौजूद है।
7. जोखिम प्रबंधन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करना और बाजार परिवेश के अनुरूप आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना।

प्रमुख नीतियों, जैसे सामान्य ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, राजकोष और निवेश नीति, की समीक्षा करना और बोर्ड के अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना।

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति

कंपनी में एक बोर्ड स्तरीय परिसंपत्ति देयता समिति होगी जो आरबीआई/बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ संस्थान के बजट और निर्धारित जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप संस्थान की व्यावसायिक रणनीति तय करने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

परिसंपत्ति देयता समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. ब्याज दर और तरलता जोखिमों के रणनीतिक प्रबंधन सहित जोखिम-प्रतिफल के दृष्टिकोण से बैलेंस शीट योजना बनाना;

ख. आईएफसीआई बेंचमार्क दरों (आईबीआर) के निर्धारण सहित जमा और अग्रिमों के लिए उत्पाद मूल्य निर्धारण;

ग. वांछित परिपक्वता प्रोफ़ाइल और वृद्धिशील परिसंपत्तियों और देनदारियों के मिश्रण पर निर्णय लेना;

घ. संस्थान के ब्याज दर दृष्टिकोण को स्पष्ट करना और ब्याज दर जोखिम को नियंत्रित करने के लिए भविष्य की व्यावसायिक रणनीति पर निर्णय लेना;

ङ. तरलता जोखिम को कम करने के लिए वित्तपोषण नीति की समीक्षा और उसे स्पष्ट करना

घ. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - कॉर्पोरेट प्रशासन (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2015 के अनुसार प्रकटीकरण

आरबीआई के निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि एनबीएफसी अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित का भी प्रकटीकरण करेंगी:-

क. अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकरण, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ख. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग में परिवर्तन;

ग. किसी भी नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो;

घ. संयुक्त उद्यमों और विदेशी सहायक कंपनियों के संबंध में जानकारी, जैसे कि क्षेत्र, संचालन का देश और संयुक्त उद्यम भागीदार और

ङ. परिसंपत्ति-देयता प्रोफ़ाइल, मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण की सीमा, एनपीए और एनपीए की गतिशीलता, सभी ऑफ-बैलेंस शीट जोखिमों का विवरण, एनबीएफसी द्वारा जारी संरचित उत्पाद, साथ ही प्रतिभूतिकरण/असाइनमेंट लेनदेन और अन्य प्रकटीकरण।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - कॉर्पोरेट प्रशासन (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2015

1. कंपनी समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली और जोखिम प्रबंधन नीति तथा इस संबंध में अपनाई गई रणनीति में हुई प्रगति पर बोर्ड को रिपोर्ट देगी।

2. कंपनी, निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति के अलावा, कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों के अनुपालन के बारे में बोर्ड को समय-समय पर रिपोर्ट देगी, जिसमें विभिन्न समितियों की संरचना, उनकी भूमिका और कार्य, बैठकों की आवधिकता और कवरेज एवं समीक्षा कार्यों का अनुपालन शामिल होगा।

3. कंपनी हर समय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - कॉर्पोरेट प्रशासन (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2015 और समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का पालन करेगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - कॉर्पोरेट प्रशासन (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2015

1. कंपनी समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली और जोखिम प्रबंधन नीति तथा इस संबंध में अपनाई गई रणनीति में हुई प्रगति पर बोर्ड को रिपोर्ट देगी।

3. कंपनी, निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति के अलावा, कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों के अनुपालन के बारे में बोर्ड को समय-समय पर रिपोर्ट देगी, जिसमें विभिन्न समितियों की संरचना, उनकी भूमिका और कार्य, बैठकों की आवधिकता और कवरेज एवं समीक्षा कार्यों का अनुपालन शामिल होगा।

4. कंपनी हर समय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - कॉर्पोरेट प्रशासन (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2015 और समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का पालन करेगी।

6. वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
7. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है) का विवरण;
8. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
9. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट; और
10. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।